168

संख्या–एस0जी0:–290 /7–1–2013–700(369)/2013.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनांक 16 अगस्त ~~जुलाई~~, 2013.

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत बड़ासू पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.1888 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति, बड़ासू, ग्राम पंचायत, मस्सू को 15 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 215/2जी–415 (उ0का0) दिनांक 23–07–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उत्तरकाशी में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत बड़ासू पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.1888 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति, बड़ासू, ग्राम पंचायत, मस्सू को 15 वर्षो की लीज पर दिये जाने की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 03–01–2005 तथा पत्र संख्या 11–9/98– एफ0सी0 दिनांक 11–09–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।**
7. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
8. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।**
9. **परियोजना के निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।**
10. **प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से** निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने **का कार्य नहीं किया जायेगा।**
11. **प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग को** वानिकी कार्यों के लिए निःशुल्क जलापूर्ति करेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाईप हेतु खोदी गई नाली में पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त पुनः खोदी गई भूमि का मिट्टी से भरान किया जायेगा व भूक्षरण को रोकने हेतु आवश्यक वानस्पतिक प्रजातियों/घास/झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नाली से उत्सर्जित मलवे को सुरक्षित स्थल पर ढुलान करके ले जाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दोनों इन्टेक चैम्बर से जल श्रोत से विद्यमान जल के 50 प्रतिशत से अधिक का विदोहन नहीं किया जायेगा और इन्टेक चैम्बर भी इसी के अनुसार निर्मित किये जायेंगे।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (**ad-hoc CAMPA**) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा । ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयरिंग) कोष्ठक के शासनादेश सं0–198/7–जी सी.–89–3–89, दिनांक 19–6–1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सैवायें और सेवा फीस–01 की गई सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही के अर्न्तगत ट्रेजरी में जमाकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
18. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 85/7(व.भू.ह.)–1–2007–700 (1994)/2007 दिनांक 21–9–2007 के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं हेतु प्रस्तावित वन भूमि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को निःशुल्क प्रत्यावर्तित की जायेगी।

2- उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001, शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 एवं के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–एस0जी0:– 290 /7–1–2013–700(369)/2013 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, एफ0आर0आई0 देहरादून।
2. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकादारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
7. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, डी0पी0एम0यू0, उत्तरकाशी।
8. अध्यक्ष, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति, बड़ासू, ग्राम पंचायत, मस्सू, उत्तरकाशी।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।